

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल (म0प्र0)

क्रमांक 24 अ-82/17-18 भू-अर्जन/ 11130 बैतूल दिनांक 13-09-2018

ईशतहार

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) द्वारा खोदरी लघु स्टोरेज जलाशय के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम खोदरी प0ह0न0 01 तहसील आठनेर जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बर की भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैं:-

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	आवेदक द्वारा कय किया वाला हे0 में	विभाग कय जाने रकबा	धारक का नाम
1	2	3	4	5	
1	193	2.691	2.156		धनराज, संजय, व0 पंढरी जाति गाडरी निवासी देहगुड भूमि स्वामी
2	192	3.864	0.526		कमला बेवा मोमन, गोपाल, रामराव, दिलीप व0 मोमन, दुर्गा, ध्रुवती पिता मोमन, मालती बेवा रामप्रसाद, राहित, मोहित, ना बा व0 रामप्रसाद वली मां मालती जाति गाडरी निवासी देहगुड भूमि स्वामी
3	194	2.190	2.190		कैलाश, प्रहलाद व0 दीपचंद जाति गाडरी निवासी देहगुड भूमि स्वामी
4	195	1.154	0.741		हेमन्त व0 नारायण, जाति गाडरी निवासी देहगुड भूमि स्वामी
5	196	1.155	0.787		देशवन्त व0 नारायण जाति गाडरी निवासी देहगुड भूमि स्वामी
6	199	1.468	0.486		किशोरी, हेमराज, धनराज, मेघराज, चन्द्रकिशोर, ओमप्रकाश, कपिलमुनी व0 सरजेराव, रेवन्ती, महेकावती पिता सरजेराव जाति किराड निवासी देहगुड भूमि स्वामी।
योग			6.886		

अतएव आवेदक जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम खोदरी तहसील आठनेर के उपरोक्तानुसार खसरा नम्बरो की कुल 6.886 हे0 भूमि आपसी सहमति से कय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 12-9-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी।




(शशांक मिश्र)
कलेक्टर,
बैतूल

पृ0क0 24 अ-82/वर्ष 16-17/भू-अर्जन/ 11/31

बैतूल दिनांक 13-09-2018

प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर दैनिक एवं स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति0 भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 3- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- तहसीलदार आठनेर की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम खोदरी तहसील आठनेर जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।


कलेक्टर, 12/09
बैतूल